संख्या-44/2018/सा0-1177/38-2-2018-34बी/2016

प्रेषक,

सुरेन्द्र राम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 19 दिसम्बर, 2018**

विषय:- जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज में आवासीय एवं अनावासीय भवनों (कार्यालय प्रमुख कक्ष एवं मीटिंग हाल आदि) के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-18/2018/सा0-159/38-2-2018-34बी/2016, दिनांक 22 फरवरी, 2018 द्वारा जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज में आवासीय एवं अनावासीय भवनों (कार्यालय प्रमुख कक्ष एवं मीटिंग हाल आदि) के निर्माण हेतु रू0 298.98 लाख एवं अनावासीय भवनों (कार्यालय प्रमुख कक्ष एवं मीटिंग हाल आदि) के निर्माण हेतु रू0 170.32 लाख, कुल रू0 469.30 लाख (रूपये चार करोड़ उन्हत्तर लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त में रू0 234.65 लाख (रूपये दो करोड़ चौंतीस लाख पैंसठ हजार मात्र) अवमुक्त की गयी थी। आपके पत्रांक-874/बजट अनु0/सामु0वि0/2018-19, दिनांक 27 नवम्बर, 2018 एवं जिला विकास अधिकारी, गोण्डा के पत्रांक-3056/कार्यक्रम-2/आवा0पत्रा0/2018-19, दिनांक 12-11-2018 द्वारा परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत अभिलेख उपलब्ध कराते हुए परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज परिसर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों (कार्यालय प्रमुख कक्ष एवं मीटिंग हाल आदि) के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 अवशेष धनराशि रू0 234.65 लाख (रूपये दो करोड़ चौंतीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। निर्माण के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदयित्व कार्यदायी संस्था का होगा। धनराशि को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यय करने में इस प्रकार रणनीति बनायी जायेगी, जिससे फेजवाइज भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। भवन का निर्माण उसी एजेंसी से कराया जायेगा, जिस पर ग्राम्य विकास विभाग की सहमति दी गयी है तथा सुसंगत शासकीय निर्माण कार्य निष्पादन विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(5) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(7) उक्त शासनादेश दिनांक 22 फरवरी, 2018 एवं इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(8) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(9) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(10) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(13) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(16) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य' के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र राम)
विशेष सचिव।

संख्या-44/2018/सा0-1177**(1)/38-2-2018 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, गोण्डा।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
6- कोषाधिकारी, गोण्डा।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग) सी-6/270, विनीत खण्ड, निकट सेन्ट्रल बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in